

प्रेषक,

अनिल कुमार बाजपेयी,

विशेष सचिव

30प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,

राज्य नगरीय विकास अभिकरण,

30प्र0, लखनऊ।

9-39
बाजपेयी

नगरीय रोजगार एवं गरीबी

लखनऊ : दिनांक : 30 मार्च, 2019

उन्मूलन कार्यक्रम विभाग।

विषय:शहरी गरीबों के लिये अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों तथा नगरीय मलिन बस्तियों में "आसरा योजना"(आवासीय भवन) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-37 से जनपद-भदोही की निकाय-भदोही की 24 आवासों की 01 परियोजना हेतु मूल्यवृद्धि वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-11761/छ:/विविध/आसरा/तक0/2017 दिनांक 14 मार्च, 2019 के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शहरी गरीबों के लिए अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों तथा नगरीय मलिन बस्तियों में "आसरा योजना" (आवासीय भवन) के अन्तर्गत अनुदान संख्या-37 से वित्तीय वर्ष 2014-15 में जनपद-भदोही की निकाय-भदोही की 24 आवासों की 01 परियोजना हेतु शासनादेश संख्या-285/2015/636/69-1-15-49(आसरा-37)/2015 दिनांक 24 मार्च, 2015 द्वारा रु0 125.29 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति सहित उक्त के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में परियोजना लागत का 50 प्रतिशत अर्थात् कुल धनराशि रु0 62.645 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी थी तदोपरान्त शासनादेश संख्या-643/2016/2085/69-1-16-49(आसरा-37)/2015 दिनांक 06 अक्टूबर, 2016 द्वारा द्वितीय किश्त के रूप में रु0 62.645 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी थी। अतएव जनपद-भदोही की निकाय-भदोही की सामान्य वर्ग के लाभार्थियों के निर्माणाधीन 24 आवासों की 01 पुनरीक्षित परियोजना के कार्यों को पूर्ण करने हेतु रु0 138.91 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति सहित उक्त परियोजना में हुई मूल्यवृद्धि के फलस्वरूप देय अन्तर की धनराशि रु0 13.62 लाख (रूपये तेरह लाख बासठ हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति पर श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(धनराशि लाख रूपये में)

क्र0 सं0	जनपद/निकाय का नाम/कुल आवासों की संख्या	मूल परियोजना की कुल लागत	सामान्य वर्ग के लाभार्थियों के आवासों की संख्या	सामान्य वर्ग के लाभार्थियों के आवासों की मूल लागत	परियोजना हेतु प्रथम/द्वितीय किश्त के रूप में कुल अयमुक्त धनराशि	सामान्य वर्ग के लाभार्थियों के 24 आवासों पुनरीक्षित परियोजना की कुल लागत	सामान्य वर्ग के लाभार्थियों की 01 आवासों की 01 परियोजना हेतु मूल्यवृद्धि के रूप में देय अन्तर की धनराशि (8-6)
1	2	3	4	5	6	8	7
1	भदोही/भदोही-48	250.58	24	125.29	125.29	138.91	13.62
योग							13.62

(रूपये तेरह लाख बासठ हजार मात्र)

-2/

Split to
MAR/A
2019

1. उक्त धनराशि का व्यय आसरा योजना (आवासीय भवन) के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देश विषय-शासनादेश संख्या-33/69-1-13-14(31)/2012टीसी(सी), दिनांक 16 जनवरी, 2013 एवं शासनादेश संख्या-1833/69-1-14-14(31)/2012टीसी(सी) दिनांक 09 सितम्बर, 2014 में दिये गये दिशा-निर्देश/व्यवस्था का पूर्णरूपेण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए की जायेगी। पात्र लाभार्थियों के नियमानुसार चयन का पूर्ण दायित्व जिलाधिकारी/अध्यक्ष, इडा तथा निदेशक, सूडा को होगा।
2. प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
3. प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों के आवश्यकतानुरूप स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथारिटी से स्वीकृत कराया जायेगा। साथ ही नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक आपत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेंस प्राप्त करने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
4. उक्त धनराशि शासन/प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग/राज्य स्तरीय समन्वय समिति द्वारा निर्धारित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन उपर्युक्तानुसार निहित मद में व्यय की जायेगी। योजनान्तर्गत परियोजना में मानकीकृत क्षेत्रफल, मानचित्र एवं मात्रा में किसी प्रकार का परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा।
5. उक्त धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जाये। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा। परियोजनाएं पूर्ण गुणवत्ता व पारदर्शिता के साथ पूर्ण करायी जायेगी एवं किसी प्रकार का कास्ट एस्केलेशन अनुमन्य नहीं होगा।
6. पुनरीक्षित प्रायोजना में वर्क टू बी डन की लागत पर नियमानुसार वास्तविक जी०एस०टी० की धनराशि देय होगी।
7. प्रायोजनान्तर्गत मिट्टी भराई मद के सम्बन्ध में पूर्व में दिये गये दिशा-निर्देशों के आधार पर सुसंगत नियमों का पालन करते हुए सम्पूर्ण कार्यवाही की जायेगी, तदोपरान्त पृथक रूप से जिलाधिकारी कमेटी से मिट्टी भराई हेतु प्राविधानित धनराशि का परीक्षण प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग से कराकर लो०नि०वि० के मुख्य अभियन्ता (भवन) (सदस्य, व्यय वित्त समिति) का अनुमोदन प्राप्त करेंगे तथा मिट्टी भराई पर व्यय होने वाले उक्त धनराशि की सीमा तक प्रायोजना की लागत बढ़ी हुई मानी जायेगी।
8. सूडा/इडा द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है। उक्त स्वीकृत धनराशि आवंटित परिव्यय के अन्तर्गत होने एवं कार्यों की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो इसे सूडा/इडा द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित किया जायेगा।
9. निर्माण कार्य आरम्भ करने के पूर्व इन-सीटू आवासों के भू-स्वामियों के भू-स्वामित्व का सत्यापन अनिवार्य रूप से किया जायेगा।
10. सूडा/इडा द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित आसरा योजनान्तर्गत आवासों के निर्माण से सम्बन्धित मानकीकरण के अनुसार ही आवास बनाये जाय व व्यय वित्त समिति द्वारा अधिरोपित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
11. परियोजना को इसी पुनरीक्षित अनुमोदित लागत में ही यथाशीघ्र गुणवत्तापूर्वक पूर्ण कराकर जनपयोगी बनाया जाय। परियोजना का भविष्य में कोई और पुनरीक्षण स्वीकार नहीं होगा।
12. उक्त धनराशि बैंक के माध्यम से आहरण के पश्चात राज्य नगरीय विकास अभिकरण व सम्बन्धित इडा द्वारा परियोजना सम्बन्धी सभी परिवादों का सक्षम स्तरीय निराकरण कराकर गुणवत्ता आदि बिन्दुओं सहित यथापेक्षित योजना निर्देशों के अनुपालन पर आश्वस्त होकर, तत्काल सम्बन्धित इडा/उनके माध्यम से निर्माण इकाई को उपलब्ध करा दी जायेगी, जो अपने स्तर पर भी उक्तानुसार सभी पहलुओं पर आश्वस्त हो लेंगे।

13. उक्त धनराशि का आहरण निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, 30प्र0, लखनऊ द्वारा प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव/संयुक्त सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग के प्रतिहस्ताक्षरोपरान्त किया जायेगा।
14. प्रत्येक आहरण की सूचना महालेखाकार (राजकोष), महालेखाकार (लेखा), 30प्र0, इलाहाबाद को आदेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बाऊचर संख्या, तिथि तथा लेखा शीर्षक की सूचना एक वर्ष के भीतर अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।
15. स्वीकृत धनराशि कोषागार से आहरित कर ड्राकघर/डिपोजिट खाते व पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी। स्वीकृत की जा रही धनराशि का कोषागार से आहरण राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार किया जायेगा तथा इसमें राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा। प्रश्नगत आहरण/भुगतान के पूर्व यथानियम केन्द्र व राज्य के करों की स्रोत की कटौती सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रतिबन्धों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा।
16. बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाय कि आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय। जनपद स्तर पर आहरण एवं वितरण अधिकारी होने की दशा में जनपद स्तर पर व्यय की जाने वाली धनराशियों को सम्बन्धित जनपद के आहरण एवं वितरण अधिकारी को आवंटित की जाय। ऐसे मामलों में एकमुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय।
17. अवमुक्त की जाने वाली धनराशि में से निर्माण कार्य हेतु दो-दो माह की आवश्यकता के लिए आवश्यक धनराशि आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा कोषागार से आहरण कर सम्बन्धित डूडा के माध्यम से कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी। कार्यदायी संस्था द्वारा पूर्व में दी गयी धनराशि के 80 प्रतिशत का उपयोग करने के उपरान्त अगले दो माह के लिए धनराशि कोषागार से आहरित करके दी जाय। कार्यदायी संस्था को अवमुक्त की जाने वाली धनराशि के स्वीकृति आदेश में इस आशय का उल्लेख अनिवार्य रूप से किया जायेगा।
18. इस धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में यथा कलेन्डर अवश्य करा लिया जायेगा तथा धनराशि व्यय हो जाने के पश्चात उसके सापेक्ष भौतिक प्रगति/गुणवत्ता एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को समय से उपलब्ध कराया जायेगा। निर्धारित अवधि के बाद अनुपयोगित धनराशि यदि कोई हो, तो एकमुश्त शासन को वापस करनी होगी। कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था से कार्य के सम्परीक्षित लेखे भी उपलब्ध कराये जायेंगे।
19. निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, 30प्र0, लखनऊ आहरण की वर्षान्त पर अपने लेखों का मिलान महालेखाकार के कार्यालय के लेखे से अवश्य करायेंगे।
20. परियोजना से सम्बन्धित निर्माण इकाई से यथाव्यवस्था धनराशि अवमुक्त करने से पूर्व अनुबन्ध (एम0ओ0यू0) निष्पादित किये जाने हेतु सूडा द्वारा सम्बन्धित डूडा को निर्देशित किया जायेगा।
21. स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष उतनी ही धनराशि आहरित की जायेगी, जितनी 31 मार्च, 2019 तक व्यय हो सके।
22. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, डूडा द्वारा कार्य की गुणवत्ता जांचने/सन्तुष्ट होने के पश्चात ही अंतिम भुगतान किया जायेगा, अन्यथा की स्थिति में वे स्वयं उत्तरदायी होंगे।
23. निष्प्रयोज्य होने वाले उपकरणों/सामग्री से प्राप्त धनराशि राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित करेंगे।
24. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय योजना आयोग, भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 हेतु निर्धारित व्यवस्थानुसार केवल अनुसूचित जाति के लिए ही किया जायेगा।

2. उपरोक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक "4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय-02-शहरी आवास-800-अन्य व्यय-03-आसरा योजना (आवासीय भवन)-24-वृहत निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।
3. यह आदेश वित्त विभाग के अर्द्धशा० पत्र संख्या-ई-9-723/दस/2019, दिनांक 29 मार्च, 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय
3/3/19
(अनिल कुमार बाजपेयी)
विशेष सचिव।

संख्या-363 /2019/198(1)/69-1-19 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम, 30प्र०, 20 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
2. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, 30प्र०, छठवां तल, संगम प्लेस, सिविल लाइन, इलाहाबाद।
3. सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, 30प्र० शासन।
4. निजी सचिव, मा० मंत्री, नगर विकास, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग।
5. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, भदोही।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9, 30प्र० शासन।
7. नियोजन अनुभाग-4, 30प्र० शासन।
8. समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग, 30प्र०, शासन।
9. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
10. वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, 30प्र०, लखनऊ।
11. सहायक वेब मास्टर, सूडा को विभागीय वेब साइट पर अपलोड कराने हेतु।
12. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सहायक/बजट समन्वयक।

आज्ञा से
(अनिल कुमार बाजपेयी)
विशेष सचिव।